झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या...02..... वर्ष 2024....

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती सरोज देवी एवं अन्य,
ग्राम- बिजका, पं०- बिजका
प्रखण्ड- गंडरिया, जिला- गढ़वा

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
गढ़वा।

वाद प्रारम्भ की तिथि
दि०- 09/01/2024

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–02 / 2024

परिवादी श्रीमती सरोज देवी एवं अन्य, ग्राम–बिजका, पंचायत–बिजका, प्रखण्ड–भण्डरिया, जिला–गढ़वा का परिवाद पत्र व्हाटसएप्प के माध्यम से दिनांक–31.12.2023 को आयोग को प्राप्त हुआ है।

परिवादी का आरोप है कि ग्राम बिजका के 51 PH कार्डधारियों अर्थात कुल–259 सदस्यों को विगत छः माह (जुलाई, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक) राशन PDS डीलर द्वारा नहीं दिया गया है। यह भी कि लाभुकों को छः माह का तेल, नमक, चीनी एवं दाल भी नहीं दिया जा रहा है।

प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–30.01.2024 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–30.01.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
30-01-2024	**वाद सं0–02 / 2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्रीमती सरोज देवी एवं अन्य, ग्राम–बिजका, पं0–बिजका, प्रखण्ड–भण्डरिया, जिला गढ़वा अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा अनुपस्थित। आज की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा या उनके प्रतिनिधि सुनवाई में उपस्थित नहीं है। उनका कोई प्रतिवेदन भी आयोग के अभिलेख में मौजूद नहीं है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश देता है कि शिकायतकर्ता के शिकायतों का निदान करते हुए अगली सुनवाई में विस्तृत प्रतिवेदन पेश करें और आज की सुनवाई में अनुपस्थित रहने का कारण समर्पित करें। आयोग के आज के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई करने को बाध्य होगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–12.02.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–12.02.2024 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
12-02-2024	**वाद सं0–02/2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्रीमती सरोज देवी एवं अन्य, ग्राम–बिजका, पं0–बिजका, प्रखण्ड–भण्डरिया, जिला गढ़वा वीडियो कॉल के. माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा आयोग कार्यालय में उपस्थित। पिछली सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि सुनवाई में अनुपस्थित थे। आयोग ने इस संदर्भ में कारण पृच्छा पेश करने का निदेश दिया था। पत्रांक–210 दिनांक–10.02.2024 के माध्यम से आयोग को प्रस्तुत किये गये पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि उन्हें पिछली सुनवाई की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, जबकी आयोग के अभिलेख में इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी को मेल के माध्यम से सूचना प्रेषित कर दी गई थी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि आज की सुनवाई की सूचना भी उन्हें मेल के माध्यम से ही प्राप्त हुई। ऐसे में आयोग प्रोग्रामर श्री अनिल कुमार साहु को इस आशय का निर्देश देता है कि वो तकनीकि पक्ष जांच कर एक रिपोर्ट आयोग को पेश करें कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी को पिछली सुनवाई दिनांक–30.01.2024 की सुनवाई की सूचना प्रेषित की गई थी अथवा नहीं। यदि तकनीकि साक्ष्य से ये प्रमाणित हो गया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी को मेल प्रेषित किया गया था तो उनके विरूद्ध आयोग को गलत सूचना देने और लाभुकों की हकमारी में शामिल होने के कारण वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकती है। इस बीच सुनवाई में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में मौजूद शिकायतकर्ता श्रीमती सरोज देवी का कहना है कि आयोग को 30.12.2023 को शिकायत प्रेषित किये जाने के बावजूद अबतक उनका और आवेदन में शामिल अन्य 51 लोगों को राशन नहीं मिला है। गौरतलब है कि इस आशय की खबर अखबारों में प्रकाशित हो चुकी है। इस भयावह स्थिति के बावजूद जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा ने आयोग को जो प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है उसमें लाभुकों को अनाज उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण पेश नहीं किया गया है, बल्कि आयोग को और लाभुकों को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश देता है कि वो 7 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता एवं उनके साथ 51 अन्य लाभुक को अनके मूल शिकायत के आलोक में हर तरह का लाभ उपलब्ध करा दिया जाने का प्रमाण पेश करें साथ ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी लिखित प्रतिवेदन के माध्यम से ये बतायें कि शिकायतकर्ता द्वारा 30.12.2023 को मूल आवेदन दिये जाने के बावजूद लगभग तीन महिने तक शिकायतकर्ता के समस्या का निदान नहीं करने के कारण उनके विरूद्ध विभाग को विभागीय कार्रवाई के लिए क्यों न लिखी जाय? जिला आपूर्ति पदाधिकारी का स्पष्टीकरण यदि नहीं आया या संतोषजनक नहीं रहा तो आयोग एकपक्षीय कार्रवाई करने को बाध्य होगा। D:\Premlata\Court 1.docx1	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभिव्यक्ति

जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को गुलाब स्वयं सहायता समूह को प्रेषित पत्र ज्ञापांक–206 दिनांक–09.02.2024 आयोग के अभिलेख में उपलब्ध कराया, जिसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि शिकायतकर्ता की शिकायतें सही पाई गईं है और गुलाब स्वयं सहायता समूह को इस आशय का स्पष्टीकरण समर्पित करने को लिखा गया है कि उनके विरूद्ध सुसंगत प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में दुकान की अनुज्ञप्ति निलंबित क्यों न की जाय। आयोग ऐसे पत्र को कार्रवाई नहीं मान सकता। आयोग की चिंता इस बात को लेकर है कि लाभुकों को अनाज या उनका हक न मिलना एक गंभीर विषय है और जिला प्रशासन हर हाल में ये सुनिश्चित करें कि लाभुकों को उनका हक मिले। प्रशासनिक कार्रवाई और कागजी खानापूर्ति कर देने से लाभुकों का पेट नहीं भर सकता। आयोग आदेश की प्रति उपायुक्त, गढ़वा को भी भेजने का निदेश देते हुए उपायुक्त, गढ़वा को ये निदेश देता है कि वो सुनिश्चित करें कि जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ सभी लाभुकों को मिले। कागजी खानापूर्ति कर आयोग और लाभुक को भ्रमित करने का प्रयास न किया जाय।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–28.02.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा उपायुक्त, गढ़वा एवं शिकायतकर्ता को भेजें। दिनांक–28.02.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28-02-2024	**वाद सं0–02 / 2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्रीमती सरोज देवी एवं अन्य, ग्राम–बिजका, पं0–बिजका, प्र0–भण्डरिया, गढ़वा वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग के आज की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा उपस्थित होकर शिकायतकर्ता को अनाज उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिकायतकर्ता ने भी ये कहा कि सिर्फ एक लाभुक को छोड़कर सभी लाभुक को राशन उपलब्ध करा दिया गया है। लाभुक श्रीमती लोबनी देवी, जिनका कार्ड संख्या–20202072995 है, उनको खाद्यान्न नहीं मिलने की बात कही गई है। आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया है कि वो श्रीमती लोबिन देवी को भी राशन उपलब्ध करा दें। शिकायतकर्ता ने दूरभाष पर बताया कि उनकी सभी शिकायतें समाप्त हो जायेंगी यदि श्रीमती लोबनी देवी को भी राशन उपलब्ध करा दिया जाय। सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि श्रीमती लोबनी देवी को राशन उपलब्ध करा दिया जायेगा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के आश्वासन को स्वीकार करते हुए आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। लेकिन आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी से इस आशय का स्पष्टीकरण पेश करने का निदेश देता है कि 12.02.2024 की सुनवाई में आयोग को भ्रामक जानकारी किस परिस्थिति में उपलब्ध कराई गई ? गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को ये बताया था कि उन्हें पिछली सुनवाई 30.01.2024 की सुनवाई मेल के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जबकि आयोग ने प्रोग्रामर से तकनिकी पड़ताल कराई तो जांच में ये बात सामने आई कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भेजा गया मेल sent प्रदर्शित हो रहा है। ऐसे में आयोग ये मान रहा है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को गुमराह करने की कोशिश की है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश देता है कि वो अपना विस्तृत प्रतिवेदन के माध्यम से बतायें कि आयोग उनके विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा क्यों न करें ? जिला आपूर्ति पदाधिकारी का प्रतिवेदन यदि अगली सुनवाई में नहीं आया या संतोषजनक नहीं रहा तो आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई करने को बाध्य होगा।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	मामले की अगली सुनवाई दिनांक–11.03.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–11.03.2024 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–02/2024

11.03.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्रीमती सरोज देवी, ग्राम–बिजका, पंचायत–बिजका, प्रखण्ड–भण्डरिया, जिला–गढ़वा, अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा आयोग कार्यालय में उपस्थित।

आयोग के अभिलेख में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आयोग के आदेश का अनुपालन कर दिये जाने का प्रमाण उपलब्ध है। आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी से लिखित स्पष्टीकरण मांगा था कि आयोग को किस परिस्थिति में गुमराह करने की कोशिश की गई। इस संदर्भ में भी जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को अपने प्रतिवेदन के माध्यम से ये बताया है कि भविष्य में कभी ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। आयोग अपने पिछले आदेश का अनुपालन हो जाने के कारण इस वाद को निष्पादित करता है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267